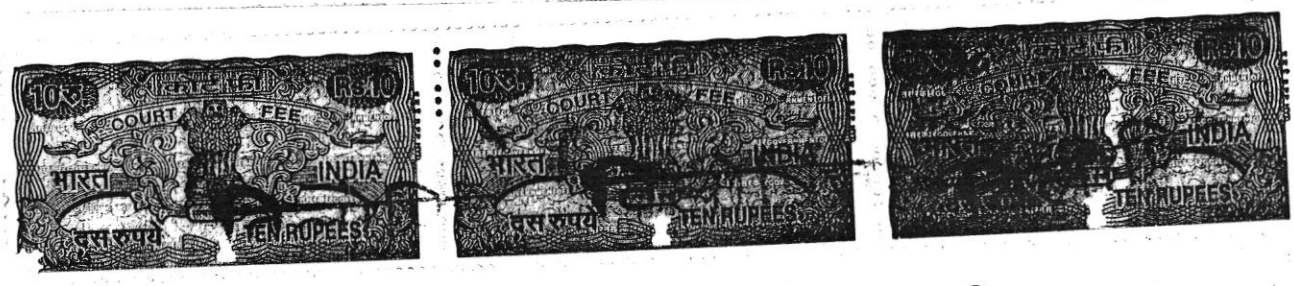

(87)

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 एक- टीकमगढ़ / निगरानी / भू.रा. / 2017 /

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3959

श्री .... द्वारा आज दि. 23.10.17 को प्रस्तुत

पेशी- दि० 8-11-17

1— श्रीमती किरन पत्नि दीपचन्द्र जैन

2— श्रीमती अरूणा देवी पत्नि स्व0 प्रमोद कुमार जैन

निवासी ग्राम लिधौरा तहसील लिधौरा

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

1— अरबिन्द सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह ठाकुर

2-- सुरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह ठाकुर

3-- बृजेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह ठाकुर

ग्राम लिधौरा तहसल लिधौरा जिला टीकमगढ़ ——अनावेदकगण

(श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 35 / 2015—16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2017 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0 भू रा0सं0, 1959)

18.10.17
G.P. Nayak
Adv.

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि तहसीलदार लिधौरा ने प्रकरण कमांक 22 अ—3 / 2011—12 में पारित आदेश दिनॉक 30—6—2012 से ग्राम लिधौरा की भूमि सर्वे कमांक 2179 / 2 / 4 रकबा 1.360 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 2179 / 2 / 5 रकबा 1.356 हैक्टर का नक्शा तरमीम करने का आदेश पारित किया।

यह कि सर्वे कमांक 2179 / 2 का कुल रकबा 5.747 हैक्टर है जिसके नक्शे में केवल सर्वे कमांक 2179 / 2 का कुल रकबा 5.747 हैक्टर भूमि दर्शित है। इसी भूमि के अंश भाग सर्वे कमांक 2179 / 2 / 4 रकबा 1.360 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 2179 / 2 / 5 रकबा 1.356 हैक्टर कायम करके नक्शा सॅशोधित किये बिना तथा सर्वे कमांक 2179 / 2 के सहखातेदारों की भूमि चिन्हित किये बिना ही ने अनावेदकगण से मिलकर पटवारी ने आवेदकगण को सूचना दिये बिना एकपक्षीय नक्शा तरमीम के प्रस्ताव दिनांक 26—6—2012 को प्रस्तुत कर दिये।

यह कि पटवारी व्दारा तैयार नक्शा तरमीम के प्रस्ताव राजस्व निरीक्षक से दिनांक 30—6—2012 प्राप्त होने के वाद विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये बिना तथा आपत्तियॉ आमंत्रित किये बिना, एंव सर्वे कमांक 2179 / 2 के अन्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– एक/निग0/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3959 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२४/१२/१७	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई जिला विदिशा के द्वारा प्रकरण कमांक 35/अपील/2015–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–08–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29–6–12 को पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 29–10–15 के विरूद्ध अपील पेश की गई । अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया गया । उक्त अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने समय बाह्य होने से अस्वीकार किया गया है । उनके आदेश से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अंतिम स्वरूप का होकर अपीलीय है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह अपील इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं । पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	